इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 जनवरी 2017—माघ 8, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2017

क्र. 1618-16-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24 जनवरी 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ८ सन् २०१७.

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, २०१६

[दिनांक २४ जनवरी, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक २८ जनवरी, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है. **संक्षिप्त नाम.**

धारा २४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ (क्रमांक ११ सन् १९९०) की धारा २४ के परन्तुक में खण्ड (एक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(एक क) ऐसा व्यक्ति, जो विषम चिकित्सीय (एलोपैथिक) औषध पद्धति की शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं या केन्द्रों में पदस्थ हो और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० (१९७० का ४८) की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित आयुर्वेदिक पद्धति और यूनानी पद्धति में स्नातक उपाधि रखता हो तथा मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत हो तथा जिसने सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७१) के अधीन उपबंधित प्रशिक्षण की सीमा तक आधुनिक आयुर्विज्ञान, जो "एलोपैथी" के नाम से भी जानी जाती है तथा अन्य चिकित्सीय प्रक्रियाओं का औषध-निर्देशन करने के लिए पात्र होगा और विषम चिकित्सा औषधियों (एलोपैथिक मेडिसिन्स) का औषध-निर्देशन करने के लिए इस धारा के अधीन दण्डनीय नहीं होगा.".

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2017

क्र. 1618-16-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 8 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 8 OF 2017

THE MADHYA PRADESH AYURVIGYAN PARISHAD (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016.

[Received the assent of the Governor on the 24th January, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 28th January, 2017.]

An Act to amend the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam, 1987.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

Amendment of Section 24.

2. In Section 24 of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam, 1987 (No. 11 of 1990), in the proviso, after clause (i), the following clause shall be inserted, namely :—

"(ia) the persons posted in the Government health institutions or centers of allopathic system of medicine and possessing graduate degree in Ayurvedic system and Unani system included in Second Schedule of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (No. 48 of 1970) and registered with the Madhya Pradesh Board of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine and Naturopathy and have undergone training specified by the Government, from time to time, shall also be eligible to prescribe medicines under modern scientific medicine which is also known as "allopathy" and such other medical procedures to the extent of training provided under the Madhya Pradesh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritik Chikitsa Vyavsayi Adhiniyam, 1970 (No. 5 of 1971), and shall not be punishable under this section for prescribing allopathic medicines;".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.